संख्या:43 /2022/1644 ई-2/तेरह-2022-1654275

प्रेषक,

राजवीर सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊःदिनांक 23 सितम्बर, 2022**

विषयः-मेसर्स ड्रू वाटर बेवरेजेज, खसरा नं.442, ग्राम बढीवाला, गोरधनपुर, जिला- मुजफ्फरनगर को 60 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता की अनाज पर आधारित मिश्रित (पेय/औद्योगिक) आसवनी स्थापित किये जाने के सम्बन्ध।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः जी -222 / दो-प्रा.डी.-240 / ड्रू वाटर **ब्रेवरीज दिनांक 17-09-2022 एवं इसी सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव आबकारी विभाग की अध्यक्षता में आहूत समिति की बैठक दिनांक 21-09-2022 के निर्गत कार्यवृत्त संख्या:-1632ई-2/तेरह-2022-1654275 दिनांक 22-09-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।**

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव व संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स ड्रू वाटर बेवरेजेज, खसरा नं. 442, ग्राम बढीवाला, गोरधनपुर, जनपद मुजफ्फरनगर को 60 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 210 लाख लीटर अधिष्ठापित क्षमता की अनाज पर आधारित आसवनी जिसमें 15 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् 52.50 लाख लीटर वार्षिक अनाज से ई.एन.ए. पेय मदिरा निर्माण हेतु एवं 45 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् 157.50 लाख लीटर वार्षिक अब्सोल्यूट अल्कोहल,एस.डी.एस. का निर्माण एवं विक्रय किया जायेगा, स्थापित किये जाने के लिए पूर्व में दी गयी अनुमति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 39/2022/1593 ई-2/तेरह-2022-1654275 दिनांक 13.09.2022 के बिन्दु संख्या-4 में वर्णित शर्त को निम्नवत संशोधित किया जाता है:-

4. इकाई द्वारा 15 कि.ली.प्रतिदिन ई.एन.ए. उत्पादन हेतु उ.प्र.प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त कर पी.डी.-2 अनुज्ञापन निर्गत किये जाने से पूर्व आयुक्तालय को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

उक्त शासनादेश संख्या 39/2022/1593 ई-2/तेरह-2022-1654275 दिनांक 13.09.2022 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in